रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 509] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 2003/ज्येष्ठ 14, 1925
No. 509] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 2003/JYAISTHA 14, 1925

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2003

का.आ. 651(अ).— यतः केन्द्र सरकार ने विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 27 नवम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1236 (अ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) को विधि-विरुद्ध संगठन घोषित किया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की दिनांक 21 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1339 (अ) के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री मनमोहन सरीन की अध्यक्षता में विधि-विरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिकरण का गठन किया है;

और यतः केन्द्र सरकार ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिसूचना को 21 दिसम्बर, 2002 को उक्त अधिकरण को यह न्यायनिर्णय किए जाने के प्रयोजनार्थ भेजा कि क्या उक्त संगठन को विधि-विरुद्ध संगठन के रूप में घोषित करने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं;

और यतः उक्त अधिकरण ने, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 मई, 2003 को एक आदेश किया जिसमें उक्त अधिसूचना में की गई घोषणा की पुष्टि की गई है;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (4) के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिकरण के उक्त आदेश को प्रकाशित करती है, अर्थात् :-

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

यूनाईटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम (उल्फा) को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने के संबंध में विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई दिनांक 27.11.2002 की राजपत्र अधिसूचना सं0 का0आ0 1236 (अ)

के मामले में तथा

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 4 के अंतर्गत संदर्भ **के मामले में**

कोरम :

माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन

उपस्थित व्यक्ति :

श्री संजय जैन, केन्द्र सरकार के स्थायी अधिवक्ता

सुश्री कृष्णा शर्मा और सुश्री मघाली बर्ठाकुर,

असम राज्य की अधिवक्ता ।

श्री डी0के0 बत्रा, अधिकरण के रजिस्ट्रार ।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिकरण के समक्ष

संदर्भ :

यूनाइटेड लिबरेशन फ्रन्ट ऑफ असम

कोरम

माननीय न्यायमूर्ति मनमोहन सरीन

आदेश

1. विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (जिसे इसमें इसके बाद 'अधिनियम' कहा गया है) की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों क अनुसरण में केन्द्र सरकार ने दिनांक 27.11.2002 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1236 (अ) के तहत यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (संक्षेप में उल्फा) तथा इसके विभिन्न गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किया था। चूंकि केन्द्र सरकार का यह दृढ़ मत था कि उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है, इसलिए उसने अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परंतुक के अंतर्गत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किया तथा निदेश दिया कि अधिकरण द्वारा किए जाने वाले किसी आदेश के अध्यधीन, यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभाव होगी ।

2. उक्त अधिसूचना के अनुसार उल्फा का घोषित उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य सशस्त्र अलगाववादी संगठनों के साथ मिलकर सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से असम को भारत से स्वतंत्र कराना तथा भारत-बर्मा क्षेत्र के इसी प्रकार कें संगठनों के साथ मिलकर भारत-बर्मा क्षेत्र की आजादी के लिए संघर्ष करना है जिससे असम को भारत से अलग किया जा सके ।

3. उपर्युक्त अधिसूचना के परिणामस्वरूप, यह न्याय निर्णय करने के लिए, कि क्या उल्फा और इसके विभिन्न गुटों को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं या नहीं, दिनांक 20.12.2002 की अधिसूचना सं0 1339(अ) के द्वारा गठित किये गये इस अधिकरण को अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पत्र लिखा गया ।

4. अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत उल्फा और उसके विभिन्न गुटों को 30 दिन के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने का निदेश दिया गया कि क्यों न उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित कर दिया जाए तथा क्यों न इस घोषणा की पुष्टि करने के लिए आदेश दे दिया जाए । यह निदेश दिया गया कि नोटिस असम में राष्ट्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन के माध्यम से तथा रेडियो एवं टेलीविजन पर प्रसारण के द्वारा दिए जाएं । नोटिसों को यथा संभव जिला या तहसील मुख्यालय में प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार के कार्यालय के सूचना-पट्ट पर लगाने का भी निदेश दिया गया । यह भी निदेश दिया गया कि नोटिस उस क्षेत्र में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित करके भी दिए जाएं जहां असम राज्य में एवं उसके बाहर उल्फा का अपना गढ़ या बजूद हो।

5. श्री रामफल, अवर सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार तथा श्री एस0के0 राय, संयुक्त सचिव असम सरकार ने हलफनामे दायर किए । 'असम ट्रिब्यून' में दिनांक 5.2.2003 को तथा 'दैनिक अग्रदूत' में दिनांक 4.2.2003 को तथा 'अमर असम ' सांध्य समाचार बुलेटिन में दिनांक 4.2.2003 को नोटिस जारी किए गए । इसे फरवरी, 2003 के प्रथम सप्ताह में दूरदर्शन केन्द्र गुवाहाटी तथा आकाशवाणी, गुवाहाटी के सायंकालीन मुख्य असमी समाचार बुलेटिन में प्रसारित कराया गया । 'दैनिक अग्रदूत' में 4.2.2003 को और 'असम ट्रिब्यून'में 5.2.2003 तथा 'अमर असम' में 4.2.03 को प्रकाशित उद्धरणों की प्रतियां रिकार्ड में प्रस्तुत की गयीं । विधिविरुद्ध संगम के कार्यालयों या इसके सभी पदधारियों को नोटिस सीधे नहीं भेजे जा सके क्योंकि उनके पते ज्ञात नहीं थे । ये नोटिस असम के 10 जिलों और गुवाहाटी में पुलिस अधीक्षक तथा उपायुक्त के कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए गए । इस प्रकार नोटिसें जारी किये जाने का कार्य पूरा है।

6. ऊपर बताए गए अनुसार लिखित रूप में 30 दिनों के अन्दर यह बताने के लिए कि उल्फा को विधिविरुद्ध संगम क्यों न घोषित किया जाए नोटिसें जारी करने के बावजूद, उल्फा की ओर से न तो कोई उपस्थित हुआ और न ही इसकी ओर से कोई कारण बताया गया । केवल देवराम गोगोई का दिनांक 12.2.2003 का एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह बताया गया कि उनके सबसे बड़े बेटे तिर्था गोगोई ने लगभग 10 वर्ष पूर्व विषम परिस्थितियों में उल्फा की सदस्यता ग्रहण की थी और वह घर से अलग हो गया था तथा उसका कोई अता-पता मालूम नहीं है।

7. केन्द्रीय सरकार का प्रतिनिधित्व श्री संजय जैन ने तथा असम राज्य का प्रतिनिधित्व सुश्री कृष्णा शर्मा तथा मेघाली बर्ठाकुर ने किया था ।

8. दिनांक 27.11.2003 की अधिसूचना में निम्नलिखित कारणों का उल्लेख किया गया जिनके आधार पर केन्द्रीय सरकार ने उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित करने का विचार बनाया :

उल्फा और इसके सदस्य :

क. (i) असम को आजाद कराने के अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भारत की क्षेत्रीय अखण्डता और संप्रभुत्ता को विघटित करने के इरादे से विभिन्न गैर-कानूनी तथा हिंसक वारदातों में संलिप्त हैं;

(ii) असम को आजाद कराने के लिए नेशलन सोसलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड तथा नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट आफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) जैसे अन्य विधिविरुद्ध संगमों के साथ मिलकर कार्य करते हैं;

(iii) उल्फा को विधिविरुद्ध संगम के रूप में घोषित किए जाने के दौरान भी अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विधिविरुद्ध और हिंसक क्रियाकलापों में संलिप्त रहे हैं;

ख. केन्द्रीय सरकार का यह भी मत था कि विधिविरुद्ध और हिंसक कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं-

(i) 27.11.2000 से 30.6.2002 तक की अवधि के दौरान हुई हिंसा और आतंकवाद की 304 घटनाएं जिनमें उल्फा का हाथ होने का आरोप है;

(ii) भारी मात्रा में धन वसूली के तथा पृथकतावादी क्रियाकलापों में संलिप्त होना, फिरौती के लिए व्यपहरण करना और निर्दोष नागरिकों के जीवन का खतरे में डालना;

(iii) अपने आतंकवादी और विद्रोही क्रियाकलापों को जारी रखते हुए अपने संवर्ग में नए लोगों को भर्ती करने के लिए चुपचाप परंतु व्यवस्थित अभियान चलाकर निचले स्तर पर संगठनात्मक नेटवर्क को पुनर्गठित करना तथा जिला, आंचलिक और शाखा समितियों का सुधार करने के कार्यक्रम पर अमल करना;

(iv) संगठन की प्रचार शाखा को सक्रिय करना जिसके द्वारा छिपे तौर पर ऐसी पत्रिकाएं एवं पर्चे छापे गये हैं जिनमें संगठन के लक्ष्यों एवं केन्द्रीय सरकार के कथित शोषण को प्रमुखता दी गई है और तथाकथित आजादी के संघर्ष में भाग लेने के लिए जनता की भावनाओं का शोषण किया गया है और इस प्रकार उनकी वफादारी को समाप्त करने की चेष्टा की गई है;

(v) अपने सदस्यों को पुलिस के मुखबिरों तथा सरकार का सहयोग करने वालों की सूची तैयार करने और उनके खिलाफ प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करने के लिए उन्हें निशाना बनाने के अनुदेश देना;

(vi) उल्फा के सैन्य विंग को आम जनता के साथ घुलमिल जाने तथा उन्हें सौपे गए कार्य करने के लिए अनुदेश देना;

(vii) पड़ौसी देशों में अनेक प्रशिक्षण शिविर तथा आश्रय स्थलों की स्थापना करना ।

9. अतः, केन्द्रीय सरकार का यह मत था कि उक्त कारणों से उल्फा की गतिविधियां भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए अहितकर थीं और इसलिए इसे विधिविरुद्ध संगम घोषित किया गया था । केन्द्रीय सरकार का यह भी मत था कि पुलिस, सशस्त्र बलों और नागरिकों के विरुद्ध हाल ही में उल्फा की निरंतर बढ़ती जा रही हिंसा पर काबू पाने के लिए इसे तुरंत विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना जरूरी था। उल्फा को अलगाववादी, विध्वंसक, आतंकवादी और हिंसक कार्यकलापों को बढ़ाने हेतु अपने कार्यकर्ताओं को गोलबंद करने से रोकने के लिए भी घोषणा को तत्काल प्रभाव से लागू करना आवश्यक था।

10. अधिकरण को यह अधिदेश दिया गया है कि वह यह न्याय-निर्णय करे कि केन्द्र सरकार द्वारा उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने और तत्काल प्रभाव से ऐसा करने के लिए अधिनिमय की धारा 3 की उपधारा 3 के परंतुक के तहत शक्तियों का प्रयोग किए जाने के पर्याप्त कारण हैं अथवा नहीं ?

11. केन्द्रीय सरकार ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के लक्ष्यों और उद्देश्यों का तथा उन हिंसक गतिविधियों का एक संक्षिप्त ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है जिनमें यह संलिप्त था ।

12. श्री ए0के0 गोयल, निदेशक (एन ई), गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पी डब्ल्यू 16/1 ने साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया है। असम राज्य की ओर से भी एस0के0 राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह एवं राजनीतिक विभाग, पी डब्ल्यू 1/1 ने भी साक्ष्य के रूप में शपथ -पत्र प्रस्तुत किया है। साक्ष्य के रूप में शपथ-पत्र निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा भी प्रस्तुत किए गए हैं :-

पी0डब्ल्यू0 2 श्री सुब्रोज्योति हजारिका, पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़;
पी0डब्ल्यू0 3 श्री आई0के0 गोगोई, पुलिस अधीक्षक, तिनसुकिया;
पी0डब्ल्यू0 4 श्री पी0सी0 बोरदोलोई, पुलिस अधीक्षक, धुबरी;
पी0डब्ल्यू0 5 श्री अमरेन्द्र बोरगोई, पुलिस अधीक्षक, बोंगाईगांव;
पी0डब्ल्यू0 6 श्री बी0बी0 चेतरी, पुलिस अधीक्षक, बारपेटा;
पी0डब्ल्यू0 7 श्री के0वी0 सिंह देव, पुलिस अधीक्षक, शिवसागर;
पी0डब्ल्यू0 8 श्री हिरेन चन्द्र नाथ, पुलिस अधीक्षक, गुवाहाटी शहर;
पी0डब्ल्यू0 9 श्री सत्येन गोगोई, पुलिस अधीक्षक, सोनितपुर, तेजपुर;
पी0डब्ल्यू0 10 श्री एम0 अग्रवाल, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, कामरूप (देहात);
पी0डब्ल्यू0 11 श्री शरत कुमार फुखन, भा0पु0से0, पुलिस अधीक्षक, नलबाड़ी;
पी0डब्ल्यू0 12 श्री खबीर अहमद, पुलिस अधीक्षक, दारंग;
पी0डब्ल्यू0 13 श्री लुंगरियाडिंग, पुलिस अधीक्षक, नागांव;
पी0डब्ल्यू0 14 श्री प्रतुल चन्द फुकन, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरेशन यूनिट, असम सरकार, दिसपुर; और
पी0डब्ल्यू0 15 श्री ज्योतिर्मय चक्रवर्ती, उप महानिरीक्षक, विशेष शाखा, असम पुलिस ।

13. पी0डब्ल्यू0 1 से पी0डब्ल्यू0 15 तक के उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य 12.4.2003 और 13.4.2003 को तेजपुर में रिकार्ड किए गए और श्री ए0के0 गोयल, पी0डब्ल्यू0 16 का साक्ष्य 8.5.2003 को दिल्ली में रिकार्ड किया गया । श्री संजय जैन, केन्द्रीय सरकार के स्थायी अधिवक्ता ने 15.5.2003 को बहस का समापन किया और अधिकरण को बहुमूल्य सहायता प्रदान की ।

14. संक्षिप्त ब्यौरे में केन्द्रीय सरकार ने कहा कि प्रतिबंध की अवधि अर्थात 27.11.2000 से 30.6.2002 तक की अवधि के दौरान उल्फा ने हिंसा की 304 वारदातें कीं । इन वारदातों में 175 व्यक्ति मारे गए जिनमें 33 पुलिस/सुरक्षा कर्मी थे और 227 व्यक्ति घायल हुए जिनमें 77 पुलिस/सुरक्षा कर्मी थे। 18 व्यक्तियों का

अपहरण हुआ । उपरोक्त वारदातों में सेना/अर्ध सैनिक बलों पर किए गए हमले, फिरौती के लिए व्यवसायियों एवं सरकारी कर्मचारियों के अपहरण तथा राष्ट्रीय सम्पत्ति को नष्ट करने के लिए विस्फोटक उपकरणों का इस्तेमाल शामिल है। संक्षिप्त ब्यौरे में यह भी कहा गया कि अपने अलगाववादी उद्देश्यों के लिए उल्फा ने बड़ी संख्या में पर्चों/पम्फलेटों/पत्रिकाओं का संवितरण करके अपना प्रचार अभियान जारी रखा। इससे पहले अक्तूबर से दिसम्बर, 2000 की अवधि के दौरान 13 घटनाओं में 100 से अधिक हिन्दी-भाषी व्यक्तियों की हत्या कर दी गई ।

15. केन्द्रीय सरकार की ओर से साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र श्री ए0के0 गोयल, निदेशक (एन ई) द्वारा दायर किया गया जिन्होंने मौखिक बयान भी दिया । श्री गोयल ने साक्ष्य के रूप में अपने शपथ-पत्र को सिद्ध भी किया । शपथ-पत्र में दृढ़तापूर्वक यह कहा गया कि उल्फा की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं और और उल्फा की गैर-कानूनी तथा राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों का रोकना एवं नियंत्रित करना आवश्यक था। उल्फा को स्थिति का अनुचित लाभ उठाने से रोकने तथा अलगाववादी, विध्वंसात्मक, आतंकवादी और हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अपने संवर्गों को गोलबंद करने से रोकने के लिए इसे तत्काल प्रभाव से गैर-कानूनी संगठन घोषित करना आवश्यक था। उल्फा के संविधान के अनुसार तथा 27.11.2000 से 30.6.2002 की अवधि के दौरान इसके द्वारा की गई 125 बड़ी वारदातों के ब्यौरे के अनुसार भी इसके लक्ष्य और उद्देश्य हलफनामे के अनुलग्नक-2 में दिए गए थे ।

16. श्री एस0के0 राय, संयुक्त सचिव, असम सरकार, गृह और राजनीति विभाग पी0डब्ल्यू0 1 ने शपथपूर्वक बयान दिया और हलफनामा प्रदर्श पी0डब्ल्यू0 1/1 को सिद्ध किया तथा उल्फा का संविधान भी सिद्ध किया । उन्होंने उल्फा द्वारा की गई हत्याओं, जबरन धन ऐंठने आदि की कई वारदातों को सारणी के रूप में प्रदर्श ए0 2 में संकलन करके प्रस्तुत किया है । इन्हें विभिन्न पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके कार्यालय में तैयार किया गया था । उन्होंने उल्फा और इसके सदस्यों द्वारा जबरन धन ऐंठने और धन लेकर लोगों को छोड़ने संबंधी जारी किए गए अनेक नोटों को भी सिद्ध किया है । उल्फा और अन्य संगठनों द्वारा गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का बहिष्कार करने के लिए जारी की गई अपीलों को रिकार्ड पर प्रस्तुत किया गया । श्री रॉय ने बताया कि उल्फा का गठन वर्ष 1979 में किया गया था जिसका उद्देश्य शेष भारत से असम को मुक्त करना, हथियारों से संघर्ष करके असम के लोगों के तथाकथित हित की रक्षा करना, असम के राजस्व और अन्य प्राकृतिक स्रोतों पर पूर्ण नियंत्रण करना, जिनमें तेल भंडार और गैस भंडार जैसे प्राकृतिक स्रोत शामिल हैं, भारतीय और गैर-भारतीय दोहन के विरुद्ध जनता का समर्थन हासिल करना है । अधिनियम के तहत उल्फा को दो वर्ष की और अवधि के लिए गैर-कानूनी संगठन घोषित करने के लिए असम सरकार द्वारा अपने दिनांक 9 अगस्त, 2002 के पत्र के तहत की गई सिफारिश को भी प्रस्तुत किया गया था ।

17. प्रदर्श ए. 1 और ए.2 में यथा संकलित हत्याओं, अपहरणों और आतंकवाद की अनेकानेक गतिविधियों में उल्फा और इसके सदस्यों की संलिप्तता के बारे में न्यायिक विवेक को सतुष्ट करने तथा वारदातों के तथ्यात्मक रिकार्ड को सत्यापित करने के लिए असम राज्य के जिलों के पुलिस अधीक्षकों द्वारा प्रस्तुत किए गए स्किार्डों को देखा गया और उक्त वारदातों के बारे में पुलिस अधीक्षकों से पूछताछ की गई । प्रत्येक पुलिस अधीक्षक ने उन सभी बड़ी वारदातों के संबंध में साक्ष्य दिया जो उनके क्षेत्राधिकार में घटित हुई थीं और उन्होंने

गवाहों के बयान, ज्ञापनों की जब्ती तथा जांच रिपोर्टों सहित रिकार्ड प्रस्तुत करके उनका समर्थन किया । पुलिस अधीक्षकों द्वारा किए गए साक्ष्यों को संक्षिप्त रूप से दिया जा रहा है ।

18. श्री सुब्रज्योति हजारिका, पुलिस अधीक्षक, डिब्रूगढ़ जिला पी0डब्ल्यू0 2 ने हलफनामा प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 2/1 सिद्ध किया और अपने मौखिक बयान में बताया कि उल्फा उनके जिले में सक्रिय था और हत्याओं और जबरन धन ऐंठने की वारदातों में लिप्त था । उन्होंने बताया कि उल्फा द्वारा धन ऐंठने से एकत्र की गई राशि को वह अपने संगठन का पुनर्गठन करने और कई देशों से शस्त्र खरीदने के लिए उपयोग कर रहा था । इस धन का उपयोग उल्फा का प्रचार विंग, प्रचार सामग्री के लिए भी करता था । उन्होंने विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302/326/307/34 के तहत दर्ज किए गए मामला सं0 180/2001 का भी उल्लेख किया । उल्फा के अपहरण सैल के एक उग्रवादी को करीमगंज में गिरफ्तार किया गया था । उसने बयान किया कि उसे भूटान में प्रशिक्षण दिया गया और इसके बाद उसे बंग्लादेश लाया गया जहां से त्रिपुरा में अंततः सीमा सुरक्षा बल के सम्मुख समर्पण करने से पहले वह बच निकला था । श्री हजारिका ने सेना और उल्फा उग्रवादियों के बीच हुई गोलीबारी की घटना का भी वर्णन किया । इसमें प्रफुल्ल बरुआ और ध्रुब कुमार रॉय नामक दो उग्रवादी मारे गए थे और उनके रिश्तेदारों ने उनके शवों की शिनाख्त की थी । जब्त किए गए ज्ञापन आदि भी प्रस्तुत किए गए और उन्हें अधिकरण को दिखाया गया ।

19. इसी प्रकार श्री इन्द्र कांत गोगोई, पुलिस अधीक्षक, तिनसुखया जिला ने भी हलफनामा प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 3/1 सिद्ध किया और सेना की जाट रेजीमेंट द्वारा की गई तलाशी से संबंधित पेनगिरी पुलिस स्टेशन के मामला सं0 25/2002 के तहत दर्ज घटना के बारे में बयान दिया । इस घटना में उल्फा के एक कार्मिक की मृत्यु हो गई थी और उनसे हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया था । उन्होंने अधिनियम की धारा 10 और 13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 447/307/326/34 के तहत दर्ज मामला सं0 6/2000 के संबंध में भी बयान दिया । इसमें 24.2.2002 को हुई घटना में बरामद हुए हथियारों और गोली-बारूद के बारे में बताया गया है जिसमें 5 में से 4 उग्रवादी मारे गए थे ।

20. धुबरी के पुलिस अधीक्षक, श्री पी0सी0 बोरदोलोई पी0डब्ल्यू0 4 ने शपथपूर्वक कहा कि उनके क्षेत्र में नवम्बर, 2000 से जून, 2000 की अवधि के दौरान उल्फा आतंकवादी सक्रिय रहे हैं और लगभग 10 बड़ी वारदातें हुई । उन्होंने गोलकगंज पुलिस थाने में, मामला सं0 74/2001 के बारे में बताया जिसमें के0रि0पु0बल के साथ हुई गोलीबारी में 4 आतंकवादियों को पकड़ लिया गया था । उनसे हथियार बरामद किए गए थे । जिस घर में इन आतंकवादियों ने शरण ली थी उस घर के मकान मालिक का बयान रिकार्ड किया गया जिसमें उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों ने खुलासा किया था कि वे उल्फा से संबंधित थे । बड़ी संख्या में लूट-खसौट और फिरौती संबंधी पत्र बरामद हुए थे । इनमें से एक पत्र दिनांक 30.5.1999 का था जिसमें 30 लाख रुपए की मांग की गई थी । प्राप्ति रसीदें भी बरामद हुई थी । उल्फा की क्रांतिकारी समिति की हैसियत से जारी किए गए लूट-खसौट संबंधी पत्र भी बरामद हुए थे । यह मामला लूट-खसौट रैंकट में उल्फा के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की पुष्टि करता है ।

21. श्री अमरेन्द्र बोरगोहांई, पुलिस अधीक्षक, बोगईगांव, पी0डब्ल्यू0 5 ने अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 302/307/326/325/427 के अंतर्गत दर्ज मामला सं0 92/2000 के संबंध में बयान दिया । उपर्युक्त वारदात दिनांक 25.6.2002 को हुई थी जिसमें सुरक्षा कार्मिकों को ले जा रहे एक वाहन पर एक हथगोला फेंका गया था । आतंकवादियों ने बचकर भाग निकलने के लिए भीड़ पर दूसरा हथगोला भी फेंका था जिसमें 22 नागरिक घायल हो गए थे जिनमें से दो की मृत्यु हो गई थी । जो व्यक्ति

हथगोला फेंककर भागे थे उन्हें देखकर लगता था कि वे असमी हैं । वे सितका गांव की ओर भागे थे जिसमें राजवंशी समुदाय के लोग रहते हैं जिनके सदस्य उल्फा काडरों की भर्ती के मुख्य स्रोत हैं । सूरज जैन नाम के एक गवाह ने बताया कि यह कार्य 4 आतंकवादियों का था । उनकी दुकान के पास एक हथगोला फेंका गया था।

22. बारपेटा के पुलिस अधीक्षक, श्री बी0बी0 चेतरी ने अपने शपथ पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 6/1 को सिद्ध किया । उन्होंने एक मामले के संबंध में भी बयान दिया जिसमें दोनों ओर से गोलीबारी में 2 उल्फा आतंकवादी मारे गए थे जिन्हें गांव के मुखिया ने मंत्री पाठक और संजय वैश्य के रूप में पहचाना था । उनसे शस्त्र और गोला-बारूद बरामद किए गए थे । लूट-खसौट संबंधी पत्र भी बरामद किए गए और अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए । जिनमें प्राप्तकर्ताओं के नाम और राशि को नहीं लिखा गया था । इन्हें उल्फा की पश्चिमी अंचल परिषद द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था ।

23. शिवसागर जिले के पुलिस अधीक्षक श्री के0वी0 सिंह ने अपना शपथ पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 7/1 सिद्ध किया । शपथ-पत्र में उल्लिखित वारदातें उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी । उन्होंने उल्फा के रोंगपुर आंचलिक परिषद के स्वयंभू सहायक वित्त सचिव ए0 सैकिया द्वारा हस्ताक्षरित लूट-खसौट संबंधी पत्रों के संबंध में बयान दिया । अधिनियम की धारा 10/13 के साथ पठित भारतीय दण्ड संहिता की धारा 385/34 के अंतर्गत मामला सं0 28/2002 - दर्ज किया गया था । लूट-खसौट/मांग संबंधी पत्रों को प्राप्त करने वालों को डराया गया था तथा वे और अधिक जानकारी नहीं देना चाहते थे । जांच-पड़ताल के दौरान, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में से एक व्यक्ति ने लूट-खसौट अभियानों और उल्फा के उन नेताओं के बारे में खुलासा किया जिन्हें लूट-खसौट अभियानों का दायित्व सौंपा गया था ।

24. गोवाहाटी शहर के पुलिस अधीक्षक श्री हिरेन चन्द्र नाथ ने अपना शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 8/1 सिद्ध किया । उन्होंने दिनांक 19.4.2001 की वारदात के बारे में बयान दिया । उन्होंने बताया कि मनोज नाम का एक उल्फा आतंकवादी मुठभेड़ में मारा गया था और उससे शस्त्र तथा गोलाबारूद बरामद किए गए थे । उन्होंने एक मृत आतंकवादी के आवास से बरामद किए गए प्रकाशन "स्वाधीनता" के एक संस्करण को जब्त करने के बारे में भी बताया ।

25. श्री सत्यन गोगोई, पी.डब्ल्यु. 9 ने अपना शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 9/1 सिद्ध किया । उन्होंने पुलिस मामला सं0 185/2001 के बारे में बयान दिया जिसके फलस्वरूप कुश कोच तथा तिलोक सैकिया नाम के दो उल्फा आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे । एक हथगोला बरामद किया गया था और जांच पड़ताल से पता चला कि उक्त आतंकवादी को सिक्किम में प्रशिक्षण दिया गया था । पी.डब्ल्यू. 10 श्री मुकेश अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक, कामरूप ने अपना शपथ-पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 10/1 सिद्ध किया । उन्होंने दिनांक 27.1.2002 की वारदात के बारे में बयान दिया जब उल्फा के संदिग्ध कार्यकर्ताओं के सोनगंगा काष्ठ सेतु पर बम विस्फोट किया । इसके फलस्वरूप जिला कामरूप के उप पुलिस अधीक्षक श्री डी0 पाठक तथा एक चालक कांस्टेबल दिग्विजय दत्ता की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी । बाद में 100 मीटर लंबी तार, ए0के0 47 राईफल के तीन खाली कारतूस तथा एक अधुनातन विस्फोटक डिवाइस बरामद हुई थी । उन्होंने बयान दिया कि यह कार्य उल्फा आतंकवादियों का था और कि एक ऐसा वायरलैस संदेश सुना गया था जिसमें उल्फा के दो स्टेशनों के कार्मिक बात कर रहे थे और एक ऐसी वारदात का जिक्र कर रहे थे जिसमें उप पुलिस अधीक्षक मारा गया था। सुने गए संदेश की प्रति भी प्रस्तुत की गई थी जिसमें एक-दूसरे का हाल-चाल पूछा गया और उल्फा संवर्ग द्वारा के0रि0पु0बल कार्मिकों के लिए "चार्ली", असम कार्मिकों के लिए 'लोकल' तथा कमांडो के लिए 'कोलाज़'

जैसी शब्दावली का प्रयोग किया गया जो दर्शाता है कि उल्फा कार्यकर्ता विस्फोट में लिप्त थे । जांच के परिणामस्वरूप, 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया । जिस घटना में उप पुलिस अधीक्षक की मृत्यु हुई थी उससे पहले कमांडो बटालियन कैंप, नागरकेरा बाजार पर ए0के0 56 राईफल्स की गोलाबारी के साथ-साथ एक रॉकेट दागा गया । राकेट लांचर एक अत्याधुनिक हथियार है जो उल्फा के पास उपलब्ध है, जिनका कामरूप जिले में प्रभुत्व है । डा0 शरत कुमार फूकन, पुलिस अधीक्षक, नलबाड़ी, श्री खबीर अहमद, पुलिस अधीक्षक, दारंग तथा श्री लुंगरियाडिंग, पुलिस अधीक्षक, नागांव जिला, असम के भी ऐसे ही बयान रिकार्ड किए गए ।

26. डा0 शरत कुमार फूकन ने अपने शपथ पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 11/1 को सिद्ध किया गया । उन्होंने 18.3.2002 की घटना, पुलिस मामला सं0 46/2002 के बारे में बताया, जिसमें पुलिस के साथ हुई गोलाबारी में दो उल्फा आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारे गए थे तथा दो भाग गए थे । शवों की पहचान उल्फा कार्मिकों के रूप में की गई, जिनके नाम जिले की विशेष शाखा द्वारा अनुरक्षित उल्फा की सूची में थे । ए0के0 47 तथा अन्य गोला-बारूद जब्त किए गए । मांग संबंधी पत्र भी बरामद किए गए । उन्होंने खुलासा किया कि 27.11.2001 से 30.6.2002 के बीच ऐसी 64 घटनाएं हुई हैं जिनमें उल्फा कार्यकर्त्ताओं का हाथ था ।

27. इसी प्रकार श्री खबीर अहमद ने भी अपने शपथ पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 12/1 को सिद्ध किया । उन्होंने भी पुलिस मामला सं0 28/2002 संबंधी घटना का ब्यौरा दिया जिसमें एक उल्फा आतंकवादी मारा गया था और रिवाल्वर, कारतूस तथा आई0ई0डी0 बरामद किए गए थे । श्री लुंगरियाडिंग, पुलिस अधीक्षक, नागांव जिला ने अपना शपथ पत्र प्रदर्श पी.डब्ल्यू. 13/1 सिद्ध किया । उन्होंने मामला सं0 811/2001 के बारे में बताया । उन्होंने 29.10.2001 की घटना का खुलासा किया जिसमें एक उल्फा आतंकवादी को ललकारा गया तो उसने भागने की कोशिश और हथगोला निकालने का प्रयास किया तथा अचानक लीवर खिंचने से विस्फोट हो गया जिसमें वह स्वयं तथा हवलदार पद्मेश्वर हजारिका घायल हो गए । उल्फा कार्यकर्ता का नाम विजय कलीता था । उन्होंने एक और घटना का खुलासा किया जिसमें एक दुर्दांत उल्फा कार्यकर्ता को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह आत्मसमर्पण कर चुके एक उल्फा व्यक्ति के घर पर रह रहा था ।

28. श्री प्रतुल चंद्र फुकन, पुलिस अधीक्षक, विशेष आपरेशन यूनिट, विशेष शाखा, असम तथा श्री ज्योतिर्मय चक्रवर्ती, पुलिस उप-महानिरीक्षक, विशेष शाखा, असम के बयान रिकार्ड किए गए । श्री प्रतुल चन्द्र फूकन ने कहा कि आतंकवादी गतिविधियों पर नजर रखना, राज्यों के विभिन्न जिलों से सूचना एकत्रित करना, उनको संकलित करना तथा मॉनिटर करना और विधिविरुद्ध गतिविधियों के बारे में आगे निदेश देना आदि उनकी ड्यूटी में शामिल था । उन्होंने खुलासा किया कि उनके शपथ-पत्र में हत्याओं, घायलों, अपहरणों तथा बम विस्फोटों से संबंधित आंकड़े विभिन्न जिलों के पुलिस अधीक्षकों से प्राप्त सूचना पर आधारित हैं । उन्होंने खुलासा किया कि भूटान, बंग्लादेश तथा म्यांमार में उल्फा के शिविर होने के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई थीं । इसके पूर्व उल्फा लोगों से कर तथा प्रशुल्क लेकर समानान्तर प्रशासन चलाने का प्रयास कर रहा था । श्री ज्योतिर्मय चक्रवर्ती ने बताया कि वर्तमान में पुलिस उप-महानिदेशक, विशेष शाखा का प्रभार संभालने से पहले वह जिला सोनितपुर के पुलिस अधीक्षक थे । उन्होंने आई0एस0आई0 जैसी एजेंसियों द्वारा जाली मुद्रा प्रचालित किए जाने के प्रयासों का खुलासा किया । आई0एस0आई0 से शस्त्र खरीदे जाते थे तथा बंगलादेश के रास्ते उनकी तस्करी की जाती थी । सूचना के मुताबिक, उल्फा चीन के शस्त्र विक्रेताओं से शस्त्रों की एक बड़ी खेप प्राप्त करने की योजना भी बना रहा था परन्तु उनका प्रयास असफल रहा । उन्होंने बंगलादेश, भूटान तथा म्यांमार से उल्फा कार्यकर्ताओं की गतिविधियों के बारे में बताया ।

29. रिकार्ड में लाए गए उपरोक्त शपथ-पत्रों, मौखिक तथा दस्तावेजी साक्ष्यों से यह देखा जा सकता है कि उल्फा अपने संविधान के अनुसार असम राज्य को सशस्त्र विद्रोह द्वारा भारत से स्वतंत्र कराने के अपने मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सक्रिय रूप से अग्रसर है और विधिविरुद्ध गतिविधियों में लिप्त है । ऊपर उल्लिखित साक्ष्यों से हत्या, अपहरण, जबरन धन वसूली तथा पुलिस, सुरक्षा कार्मिकों तथा सशस्त्र बलों पर हमले जैसी विधिविरुद्ध गतिविधियां तुरन्त स्पष्ट होती हैं । विदेशों से हथियारों के प्रापण का प्रयत्न और जाली मुद्रा का परिचालन यह दर्शाता है कि उल्फा अभी भी सक्रिय है तथा अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों के प्रति प्रतिबद्ध है । यह व्यापक पैमाने पर आतंक फैलाने के लिए सतत प्रयास करता रहा है। केन्द्र सरकार और असम राज्य ने अधिकरण के सम्मुख ऐसे विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो यह दर्शाते एवं सत्यापित करते हैं कि प्रतिबंध की अवधि के दौरान भी उल्फा के विधिविरुद्ध कार्यकलापों में कोई कमी नहीं आई । इसके विरोध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया । मौखिक बयान तथा शपथ पत्र के रूप में साक्ष्य व्यवहार्य सीमा तक रिकार्डों से लिए गए हैं । प्रस्तुत साक्ष्यों की विश्वसनीयता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है ।

30. जिस अवधि के दौरान उल्फा के कार्यकलापों को विधिविरुद्ध घोषित किया गया था उस अवधि में भी यह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए असम को भारत से अलग करने के लिए एन0डी0एफ0बी0 और एन0एस0सी0एन0 से संपर्क बनाता रहा है । उल्फा की हिंसक एवं अवैध गतिविधियों का उद्देश्य जनता में आतंक एवं असुरक्षा की गहरी भावना पैदा करना है, विशेषकर उन लोगों में जो इसका विरोध करते हैं अथवा इसके उद्देश्यों और तौर-तरीकों का समर्थन नहीं करते हैं । जैसा कि पहले बताया गया है, प्रतिबंध के बावजूद इसके विधिविरुद्ध कार्यकलापों में कोई कमी नहीं आई है । इस बात की सूचना और साक्ष्य उपलब्ध हैं कि उल्फा भूटान, बंगलादेश और म्यांमार में अपने शिविर चला रहा है ।

31. इन तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में केन्द्र सरकार का इस नतीजे पर पहुंचना पूर्णतः न्यायसंगत था कि उल्फा को तत्काल प्रभाव से विधिविरुद्ध संगम घोषित किया जाना आवश्यक है जिससे उल्फा के आतंकवादी कार्यकलापों को, इसके कार्यकर्ताओं द्वारा पुनः गोलबंद होने को तथा इसके द्वारा बड़े पैमाने पर हथियार प्राप्त किए जाने आदि को रोका जा सके ।

32. अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के मद्देनजर मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि विधिविरुद्ध कार्यकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.11.02 की अधिसूचना सं0 का0आ0 1236(अ) के द्वारा उल्फा को विधिविरुद्ध संगम घोषित किए जाने के पर्याप्त कारण हैं । तदनुसार उक्त अधिसूचना में भारत सरकार द्वारा की गई घोषणा की एतद्द्वारा पुष्टि की जाती है । यह भी निर्णय दिया जाता है कि ऐसे तथ्य और परिस्थितियां मौजूद थे जिनमें केन्द्र सरकार के लिए यह जरूरी हो गया था कि वह अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से लागू करे ।

[फा. सं. -11011/25/2002-एन ई-IV]

ए.के. गोयल, निदेशक

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2003

S.O. 651(E).—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), declared the United Liberation Front of Asom (ULFA) to be an unlawful association vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1236 (E), dated the 27th November, 2002 (hereinafter referred to as the said notification);

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 5 of the said Act, constituted vide notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs number S.O. 1339(E), dated the 21st December, 2002, the Unlawful Activities (Prevention) Tribunal, consisting of Justice Shri Manmohan Sarin, Judge of Delhi High Court;

And whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the said Act, referred the said notification to the said Tribunal on the 21st December, 2002, for the purpose of adjudicating whether or not there was sufficient cause for declaring the said association as unlawful;

And whereas the said Tribunal, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 4 of the said Act, made an order on the 23rd May, 2003, confirming the declaration made in the said notification;

Now, therefore, in pursuance of sub-section (4) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby publishes the said Order of the said Tribunal namely : —

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In the matter of :

Gazette Notification No. S.O.1236 (E) dated 27-11-2002, declaring United Liberation Front of Asom (ULFA) as an unlawful association issued by the Central Government in exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

And in the matter of :

Reference under Section 4 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

Coram :

HON'BLE MR. JUSTICE MANMOHAN SARIN

Present:

Mr. Sanjay Jain, Central Government Standing Counsel

Ms. Krishna Sarma and Ms. Meghalee Barthakur, Advocates for State of Assam.

Mr. D.K. Batra, Registrar of the Tribunal.

BEFORE THE UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) TRIBUNAL

In re:

United Liberation Front of Asom

Coram :

Hon'ble Mr. Justice Manmohan Sarin

ORDER

1. The Central Government vide a notification bearing No. S. O. 1236 (E) dated 27-11-2002, in pursuance to the powers conferred under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (hereinafter referred to as "the Act") declared the United Liberation Front of Asom and the various wings thereof (for short ULFA) to be an unlawful association. The Central Government being of the firm opinion that it was necessary to declare ULFA to be an unlawful association with immediate effect, exercised its powers under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act and directed that the notification, subject to any Order that may be made by the Tribunal, shall have effect from the date of its publication in Official Gazette.

2. As per the notification, ULFA has its professed aim "the liberation of Assam from India, through an armed struggle, in alliance with other armed secessionist organisations of the North East region as well as to struggle for the liberation of the Indo Burma region, in alliance with like organisations of that region and thereby have the secession of Assam from India.

3. Consequent upon the notification referred to above, reference was made under Section 4 of the Act to this Tribunal, constituted vide notification bearing No.S.O.1339 (E) dated 20-12-2002, for adjudicating whether or not there is sufficient cause for declaring the ULFA and it various wings as an unlawful association .

4. Notices were directed to be issued to the ULFA and various wings thereof under sub-section (2) of Section 4 of the Act to show cause within 30 days why ULFA be not declared an unlawful association and why order should not be made confirming the declaration. It was directed that notices be served by publication in the National Daily and local newspapers circulated and published in Assam as well as by broadcasting on radio and telecasting on television. Notices were also directed to be served by pasting the same on notice board of the office of each District Magistrate/Tehsildar at the headquarter of the district or Tehsil, as feasible. Notice was also directed to be served by publication in a daily newspaper circulated in the locality, where ULFA has its establishment or presence in the State of Assam and outside.

5. Affidavits of service were filed by Sh. Ram Phal, Under Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India and Sh. S.K. Roy, Joint Secretary to the Government of Assam. Notices were published in the issue of "Assam Tribune" dated 5-2-2003, "Dainik Agradut" on 4-2-2003 and "Amar Asom" evening news Bulletin on 4-2-2003. It was also telecast over the Doordarshan Kendra, Guwahati and broadcast in the evening prime time Assamese news bulletin, over the All India Radio, Guwahati in the first week of February, 2003. The copies of the citations, as published in "Dainik Agradut" on 4-2-2003 and in "Assam Tribune" on 5-2-2003 and in "Amar Asom" on 4-2-2003 have been produced on record. Notices could not be directly sent to the offices or to all office bearers of the unlawful association, as whereabouts were not known. Notices were also displayed at the offices of the Superintendent of Police and Deputy Commissioner of the 10 Districts in Assam and Guwahati. Service is thus complete.

6. Despite publication and service of notice, as aforesaid, to show cause in writing within 30 days, as to why ULFA should not be declared as an unlawful association, neither any one has put in appearance on behalf of ULFA nor any cause shown by any one on its behalf. Only one letter dated 12-2-2003 was received from Deoram Gogoi, stating that his eldest son, Tirtha Gogoi joined ULFA in peculiar circumstances about 10 years ago and branched himself off from the family and his whereabouts were not known.

7. The Central Government was represented through Sh. Sanjay Jain and the State of Assam by Ms. Krishna Sarma and Ms. Meghalee Barthakur.

8. In the notification dated 27-11-2003, the following grounds have been mentioned, on which the Central Government formed the opinion to declare ULFA as an unlawful association:

ULFA and its members:

A (i) indulge in various illegal and violent activities intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India in furtherance of its objective of liberating Assam;

(ii) aligned itself with other unlawful associations like the National Socialist Council of Nagaland and National Democratic Front of Bodoland (NDFB) to liberate Assam;

(iii) in pursuance of its aims and objectives, engaged in several unlawful and violent activities, during the currency of its declaration as an unlawful association;

B The Central Government was further of the opinion that the unlawful and violent activities include—

(i) 304 violent and terrorist incidents, which are attributed to the ULFA during the period from 27-11-2000 to 30-6-2002;

(ii) indulging in a spate of extortion and secessionist activities, and endangering lives of innocent citizens, in addition to its acts of kidnapping for ransom;

(iii) embarking on a programme of restructuring in organizational network at grass root level by launching a quiet but systematic drive for recruitment of fresh cadres and revamping the district, anchalik and sakha committees, while continuing its terrorist and insurgency activities;

(iv) making publicity wing of the organization active, which has published clandestine leaflets, magazines highlighting the goal of the outfit, alleged exploitation by the Central Government and exhorting the people to join the so-called liberation struggle and thereby subverting their loyalties;

(v) instructing its cadres to compile the list of police informers and government collaborators and to identify targets for retaliatory action against them;

(vi) instructing the army wing of the ULFA to mingle with the common people and execute assigned tasks;

(vii) establishing sanctuaries and a number of training camps in neighbouring countries.

9. The Central Government was, therefore, of the opinion that for the aforesaid reasons, the activities of ULFA were detrimental to sovereignty and integrity of India and it was declared to be an unlawful association. The Central Government was also of the opinion that it was necessary to declare ULFA as an unlawful association with immediate effect to meet the sustained and ever increasing violence committed by the ULFA in the recent past against the police, armed forces and the civilians. It was also necessary to have the declaration with immediate effect to prevent it from mobilizing its cadre for escalating the secessionist subversive terrorist and violent activities.

10. The Tribunal has been given the mandate to adjudicate upon whether there is sufficient cause for declaring ULFA as an unlawful association and for Central Government exercising the power under proviso to sub-section 3 of Section 3 of the Act to do so with immediate effect?

11. The Central Government has filed a brief Resume regarding the aims and objectives and the violent activities indulged in by the United Liberation Front of Assam.

12. Affidavit by way of evidence has been filed by Sh. A.K. Goyal, Director, North-East, Ministry of Home Affairs, Government of India, Pw.16/1. On behalf of State of Assam, affidavit of Sh. S.K. Roy, Joint Secretary, Government of Assam, Home and Political Department has been filed by way of evidence, PWl/1. Affidavits by way of evidence have also been filed by the following :—

PW. 2. Sh. Subrojyoti Hazarika, Superintendent of Police. Dibrugarh;

PW. 3. Sh. I.K. Gogoi, Superintendent of Police, Tinsukia;

PW. 4. Sh. P.C. Bordoloi, Superintendent of Police, Dhubri;

PW. 5. Sh. Amarendra Borgohain, Superintendent of Police, Bongaigoan;

PW. 6. Sh. B.B. Chetri, Superintendent of Police, Barpeta;

PW. 7. Sh K.V. Singh Deo, Superintendent of Police, Sivsagar;

PW. 8. Sh. Hiren Chandra Nath, Superintendent of Police, City Guwahati;

PW. 9. Sh. Satyen Gogoi, Superintendent of Police, Sonitpur, Tezpur;

PW. 10. Sh. M.Agrawal, IPS, Superintendent of Police, Kamrup (Rural);

PW. 11. Sh. Sarat Kumar Phukhan, IPS, Superintendent of Police, Nalbari;

PW. 12. Sh. Khabir Ahmed, Superintendent of Police, Darrang;

PW. 13. Sh. Lungriading, Superintendent of Police, Nagoan;

PW. 14. Sh. Pratul Ch. Phukan, Superintendent of Police, Special Operation Unit, Government of Assam, Dispur; and

PW. 15. Sh. Jyotirmay Chakravarty, DIG, Special Branch, Assam Police.

13. Evidence of the above witnesses PW 1 to PW 15 was recorded at Tezpur on 12-4-2003 and 13-4-2003 and of Shri A.K. Goyal PW 16 in Delhi on 8 -5-2003. Mr. Sanjay Jain, Central Government Standing Counsel concluded the arguments on 15.5.2003 and rendered valuable assistance to the Tribunal.

14. The Central Government in the resume stated that during the period of ban i.e. from 27-11-2000 to 30-6-2002, ULFA indulged in 304 incidents of violence. These include 175 persons being killed including 33 police/security personnel, injuring 227 out of which 77 were police/security personnel. There was kidnapping of 18 persons. The above included attacks on Army/para military forces, kidnapping of businessmen and Government officials for ransom. use of explosive devices for damaging national properties. The resume further states that in pursuance to its secessionist objectives, ULFA continued with its publicity drive by distribution of large number of Leaflets/Pamphlets/Magazines. Earlier during the period of October to December, 2000 more than 100 Hindi speaking persons were murdered in 13 incidents.

15. Affidavit by way of evidence on behalf of the Central Government has been filed by Mr. A. K. Goyal, Director North-East, who deposed orally also. Mr. Goyal proved his affidavit by way of evidence. It is averred in the affidavit that the activities of ULFA are on increase and it was necessary to continue curbs and control over the unlawfulanti-national

activities of ULFA. The declaration of ULFA as an unlawful association with immediate effect was necessary to prevent ULFA from taking undue advantage of the situation and mobilizing its cadres for escalating secessionist, subversive, terrorist and violent activities. The aims and objectives of ULFA as per its Constitution as also details of 125 major incidents committed by ULFA during 27-11-2000 to 30-6-2002, were given in Annexure 2 to the affidavit.

16. PW1 Mr. S.K. Roy, Joint Secretary Government of Assam, Home & Political Department, deposed on oath and proved the affidavit Ext.PW1/1 as also the Constitution of ULFA. He produced a compilation in a tabulated form Ext.A.2 of the numerous incidents of killing, extortion etc. which had been prepared in his office on the basis of information received from the various Supdts. of Police. He also proved on record the various extortion and ransom notes issued by ULFA and its functionaries. Appeals issued by ULFA and other association for boycott of Republic Day and Independence Day, were also produced on record. Mr. Roy stated that ULFA was formed in the year 1979, with the object of liberating Assam from rest of India, by armed struggle purportedly to safeguard the alleged interest of the people of Assam, to have complete control over the revenue and other natural resources of Assam, like oil reserves and gas reserves, to win public support against Indian and non-Indian exploitation. The recommendation made by the State Government of Assam vide its letter of 9th August, 2002 for declaring ULFA as an unlawful association, under the Act, for another period of two years was also produced.

17. With a view to satisfy the judicial conscience regarding the involvement of ULFA and its members in the numerous incidents of killings, kidnappings and terrorist activities as set out in the compilation Ext.A.1 and A.2 and to verify from the record factum of the incidents, the records produced by the Superintendents of Police of the Districts in the State of Assam were perused and the Superintendents of Police questioned with regard to the said incidents. Each of the Superintendents of police deposed with regard to the significant cases that had happened within their jurisdiction and supported the same by production of records, including statements of witnesses, seizure memos and investigation reports. The depositions made by the Superintendents of Police are being briefly noticed.

18. PW2 Mr. Subrojyoti Hazarika, Superintendent of Police Dibrugarh District proved the affidavit Ext.PW2/1 and stated in his oral deposition that ULFA was active in his District and had been indulging in killings and extortion. He stated that the money collected by extortion was being used by ULFA for restructuring their association and for purchase of illegal arms from various countries. The money was also used by the Propaganda wing of ULFA for making of publicity material. He referred to case No.180/2001 under Section 302/326/307/34IPC read with Section 10/13 of the Unlawful Activities (Prevention) Act. One militant, of the kidnapping cell of ULFA had been arrested in Karim-Ganj, made a statement describing his training at Bhutan and move to Bangladesh, from where he escaped before finally surrendering to the BSF in Tripura. Mr. Hazarika also described the incident relating to the exchange of fire between the army and ULFA militants, where two militants Prafulla Baruah and Dhruba Kumar Roy had died and their bodies were identified by their relations. The seizure memos etc. were also produced and shown to the Tribunal.

19. Similarly Mr. Indra Kantea Gogoi, Superintendent of Police, Tinsukia District proved his affidavit Ext. PW3/1 and deposed about the incident vide case No.25/2002 of Police Station Pengeree, relating to the search conducted by the Jat regiment of the army leading to the death of one ULFA personnel and recovery of arms and ammunition. He also deposed with regard to case No.6/2000 under Sections 447/307/326/34IPC read with Section 10 and 13 of the Act dealing with the recovery of arms and ammunition in the incident of 24-2-2002, when four out of five militants were killed.

20. Mr. P.C. Bordoloi, Superintendent of Police, Dubri, PW4 stated on oath that ULFA militants had been active in his area during the period November, 2000 to June, 2002 and there were about 10 major incidents. He described case No.74/2001 under the Golakganj Police Station wherein in exchange of fire with CRPF, 4 activists were overpowered. There was recovery of weapons. The statement of the owner of the house where they had taken shelter was recorded, who stated that the arrested persons had disclosed that they were from the ULFA. A large number of extortion and ransom letters were recovered. One of these was a letter dated 30-5-1999 wherein demand of Rs.30 lacs was made. Receipt books were also recovered. Extortion letters issued under the authority of revolutionary committee of ULFA were also recovered. This case shows and establishes the involvement of ULFA personnel in extortion racket.

21. Mr. Amarendra Borgohain, Superintendent of Police, Bongaigaon, PW5 deposed with regard to the case No.92/2000, under Sections 302/307/326/325/427IPC read with Section 10/13 of the Act. The above incident had occurred on 25-6-2002 where a hand grenade was thrown on a vehicle carrying the security personnel. The militants in order to make good their escape threw another grenade on the crowd injuring 22 civilians out of which two succumbed to injuries. The persons who escaped after throwing the hand grenade were seen having Asamese features. They escaped towards Sitka village which is inhabited by Rajbanshi community, whose members are the main source of recruitment of ULFA cadres. One of the witnesses, Suraj Jain stated that this was the handiwork of 4 militants. A grenade had been thrown next to his shop.

22. Mr. B.B. Chetri, Superintendent of Police, Barpeta proved his affidavit Ext. PW6/1. He also deposed with regard to case where in exchange of fire, 2 ULFA militants had died, who were identified as Mantri Patchak and Sanjay Baisshya by

the village headman as ULFA militants. There was recovery of arms and ammunition. Extortion notes were also recovered and produced before the Tribunal. In the extortion notes, the names of the addressees and the amounts were left blank. The same were signed by West Zone Parishad of ULFA.

23. Mr. K.V. Singh, Superintendent of Police, Siva Sagar District proved his affidavit Ext.PW7/1. The illustrative cases mentioned in the affidavit had happened during his tenure. He deposed with regard to the extortion letters signed by one A. Saikia, self styled Asstt. Finance Secretary of Rongpur Anchalik Parishad of ULFA. Case No.28/2002 under Section 385/34 IPC read with Section 10/13 of the Act was registered. The recipients of the extortion/demand letters were terrorized and were not willing to divulge further information. During the investigation, one of the arrested persons disclosed the extortion operations as well as the leaders of ULFA who were assigned the responsibilities for extortion operations.

24. Mr. Hiren Chandra Nath Superintendent of Police city Guwahati proved his affidavit Ext. PW 8/1. He deposed with regard to the incident of 19-4-2001. He stated that one ULFA militant Monoj was killed in the encounter and arms and ammunitions were recovered. He also deposed about the seizure of the issue of publication "Swadhinata" recovered from the residence of the dead militant.

25. Mr. Satyan Gogoi PW 9 proved his affidavit Ext. PW 9/1. He deposed about the police case No.185/2001 resulting in the arrest of ULFA extremists Kush Koch and Tilok Saikia. A hand grenade was recovered and investigation revealed that the said militant had been trained in Sikkim. PW-10 Mr. Mukesh Agrawal, Superintendent of Police, Kamrup proved his affidavit Ext. PW10/1. He deposed about the incident of 27-1-2002, when suspected activists of ULFA exploded a bomb at Soneganga wooden bridge. As a result of said incident DSP (HQ) Mr.D.Pathak of Distt. Kamrup and a driver constable Digbijoy Dutta, died on the spot. Subsequently, 100 meters of wire, three numbers of empty cartridges of AK-47 rifle and one improvised explosive device was recovered. He deposed that this was the work of ULFA extremists and a wireless message was intercepted where personnel of two stations of ULFA were talking about and referring to the incident in which the DSP had been killed. Copy of the intercepted message was also tendered. The greetings exchanged the intercepted message and the phraseology used by ULFA cadres, who called CRPF personnel as "Charlie, Assam personnel as "Locals" and Commandos as "Kolas" showed that ULFA activists were involved in the explosion. As a result of investigation, 13 persons were arrested. Prior to the incident in which DSP was killed, a rocket had been fired on the Commandos Battalion camp at Nagarbera Bazar supported with firing from AK-56 rifle. The rocket launcher is a sophisticated weapon which is available with ULFA, which has predominance in Kamrup District. Similarly statements were recorded of Dr.Sarat Kumar Phukan, Supdt. of Police Nalbari, Mr. Khobir Ahmed Supdt. of Police Darrang, and Mr. Lungriading, Supdt. of Police Nagaon District, Assam.

26. Dr. Sarat Kumar Phukan, proved his affidavit Ex. PW 11/1. He deposed about the incident of 18-3-2002, police case No.46/2002, where in exchange of fire with the police, two ULFA militants died on the spot and two fled away. The dead bodies were identified as those belonging to ULFA personnel, whose names appeared in the list of ULFA, maintained by the District Special Branch. AK-47 and other ammunition were seized. Demand letters were also recovered. He deposed that there had been 64 incidents involving ULFA activists between 27-11-2001 to 30-6-2002.

27. Mr. Khobir Ahmed has similarly proved his affidavit Ext. PW 12/1. He also described the incident of police case No.28/2002, where one ULFA militant died and revolver, cartridges and IED were recovered. Mr. Lungriading Supdt. of Police Nagaon District proved his affidavit Ext.PW13/1. He deposed about the case No.811/2001. He deposed about the incident of 29-10-2001 when a ULFA militant was challenged, who attempted to escape and tried to take out a grenade and accidentally pulled over the lever, resulting in explosion, in which he himself and Havaldar Padmeswar Hazarika succumbed to injuries. ULFA activist was Bijay Kalita. He also deposed about another incident, wherein a hardcore ULFA activist was arrested, while he had taken shelter with a surrendered ULFA man.

28. Statements were recorded of Mr. Pratul Chandra Phukan, Supdt. of Police Special Operation Unit, Special Branch, Assam and Mr. Jyotirmay Chakravarty Dy. Inspector General of Police , Special Branch, Assam. Mr.Pratul Chandra Phukan stated that his duty was to monitor terrorist activities, gather information from various Districts of the State, to collate and monitor the same and give further directions concerning unlawful activities. He deposed that the statistics given in his affidavit, with regard to number of murders, killings, injuries, kidnappings and bomb explosion were based on the information received from Supdts. of Police of various Districts. He deposed that information had been received with regard to ULFA camps being held in Bhutan, Bangladesh and Myanmar. Earlier ULFA was trying to run parallel administration collecting taxes and tariff from people. Mr. Jyotirmay Chakravarty deposed that prior to his present assignment as Deputy Inspector General of Police, Special Branch, he was Superintendent of Police Sonitpur District. He deposed about attempts by agencies, such as, ISI to circulate counterfeit currency. Arms were being purchased from ISI and were smuggled through Bangladesh. As per information, ULFA was also planning to procure huge consignment of arms from arms dealers in China but attempt proved abortive. He deposed about the activities of ULFA activists from Bangladesh, Bhutan and Mynamar.

29. From the aforesaid affidavits, as well as oral and documentary evidence, which has been brought on record, it would be seen that ULFA has been actively pursuing and indulging in unlawful activities with a view to fulfil its main aims and objective as per its constitution to liberate the State of Assam from Indian Republic through arms struggle. The evidence, as discussed above, brings forthwith unlawful activities, namely, killings, kidnappings, extortion and attacks on police, security personnel and armed forces. The attempts of acquisition of arms from foreign countries as also circulation of counterfeit currency, demonstrate that ULFA continues to be active and committed to its aim and objective. There has been concerted attempt to cause widespread panic. The Central Government and State of Assam have led credible evidence before the Tribunal to demonstrate and establish that there was no let up in the unlawful activities of ULFA, even during the period when ban was in operation. No evidence has been produced to the contrary. The oral depositions, evidence by way of affidavit, as far as feasible has been corroborated from records. There is no reason to doubt the credibility of evidence led.

30. ULFA has also been aligning itself with NDFB and NSCN to have the secession of Assam in pursuance to its aims during the period, its activities remanded declared as unlawful. The violent and illegal activities of ULFA are intended to create terror and a deep sense of insecurity amongst people, especially those who are either opposed to or do not extend support to the objective and methods employed by ULFA. As noticed earlier, despite the ban, there has been no let up in its unlawful activities. There is evidence and reports of ULFA camps in Bhutan, Bangladesh and Myanmar being activated.

31. Central Government in these facts and circumstances was fully justified in reaching the opinion that the declaration of ULFA as an unlawful association with immediate effect, was necessary to prevent terrorist activities and remobilization of ULFA cadres and acquisition of large scale arms etc.

32. In view of the evidence led before the Tribunal, I am satisfied that there is sufficient cause for declaration of ULFA as an unlawful association by notification No. 1236(E) dated 27-11-2002, in pursuance of the powers exercised under Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. Accordingly, declaration made by the Government of India in the said notification is hereby confirmed. It is also held that the facts and circumstances existed for the Central Government to invoke its powers under the proviso to sub-section (3) of Section 3 of the Act for the notification to be made applicable with immediate effect.

May 23rd, 2003 JUSTICE MANMOHAN SARIN, Unlawful Activities (Prevention) Tribunal

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.